राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 एवं 1530/2016..........................जिला..................................जयपुर...

श्री श्याम गैसेज,ई 105, रोड नं. 8, वी.के.आई. जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/08/2016		

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2016 जो नियम 35 ऑफ राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 सपठित अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह छः अपीलें अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी. अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	**कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि**
1	2	3	4	5	6
1525/16	09–10	18	69,460	41,760	**27,670**
1526/16	10–11	19	38,380	28,710	**9,670**
1527/16	11–12	20	26,650	22,320	**4,330**
1528/16	12–13	21	25,825	22,860	**2,965**
1529/16	13–14	22	22,941	21,376	**1,565**
1530/16	14–15	23	1,780	1,530	**250**

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2016 से अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में मिक्सचर गैस (**N_2H_2**) एवं विभिन्न अन्य गैसों/non metals तत्वों की बिक्री की गई है, जिस पर कर दर विवादित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

लगातार.................2.

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 एवं 1530/2016..........................जिला..................................जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/08/2016	विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 24.05.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा बिक्री की गई विभिन्न गैसों/non metals तत्वों पर कर दर विवादित है एवं समस्त प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है जिनका निर्णय आदिनांक तक नहीं हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी के विरूद्ध बकाया मांग राशियों (उपरोक्त तालिका का कॉलम नं. 6) **की वसूली योग्य शेष राशि को इस शर्त पर स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करेगा।** शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन छः प्रकरणों में नियमित सुनवाई करते हुये इन आदेशों की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें। छः स्थगन अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	